

क्रमांक : एफ 1-12/2018/55-2

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

प्रति,

आयुक्त,

चिकित्सा शिक्षा,

मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :-

छतरपुर जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना।

सन्दर्भ :-

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की टीप क्रमांक 267/DME/यो.वि./New Mc/2018. दि. 30 अगस्त, 2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा छतरपुर में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि रूपये 300.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा मेडिकल कॉलेज के भवन एवं परिसर का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर किया जाए।

2/- यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 69 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Dept. of Medical Education

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर। (आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न हैं।)
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
 5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 6. संभागीय आयुक्त, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश।
 7. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन भोपाल।
 9. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. गार्ड फाईल

me

me 4/10/18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि. पी.आई.यू. छतरपुर
मुख्यालय नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

E-Mail :- piuchhatarpur@gmail.com

Ladline No.:-07685255062

क्रमांक एफ-2/कार्य/डी.पी.ई./पी.आई.यू./2020/नौगांव/71

दिनांक 29/1/20

प्रति,

✓ परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. निर्माण भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- नवीन प्रस्तावित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छतरपुर के संबंध में निर्माण की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल का आपको संबोधित पत्र क्र./09/योवि/न.मे.का./संचिशि/2019 भोपाल दिनांक 14.01.2020

-----X-----

संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के क्रमांक एफ-1-12/2018/55-2, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 से छतरपुर जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु राशि रु. 300.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उक्त कार्य का प्रावकलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त निविदा आमंत्रित की गई थी। किन्तु निविदा की वित्तीय दर स्वीकृत नहीं हुई। कुछ समय उपरान्त उक्त नवीन चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हेतु कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा आवंटित की गई शासकीय भूमि पर श्री बहादुर सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 3076/2018 दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय स्थगन जबलपुर द्वारा दिया गया जिस कारण से उक्त के संबंध में आगामी कार्यवाही लंबित रखी गई।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को उक्त याचिका पर निर्णय करते हुये आवेदन श्री बहादुर सिंह की याचिका को निरस्त कर दिया है एवं उक्त भूमि को शासकीय मान्य किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

29/01/2020

संभागीय परियोजना यंत्री,
लो.नि.वि. पी.आई.यू. छतरपुर
मुख्यालय नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)
दिनांक

पृ.क्र. एफ-2/कार्य/डी.पी.ई./पी.आई.यू./2020/नौगांव/
प्रतिलिपि:-

अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. थाटीपुर खालियर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

हस्ताक्षर

संभागीय परियोजना यंत्री,
लो.नि.वि. पी.आई.यू. छतरपुर
मुख्यालय नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)



Scanned with
CamScanner

Under Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Dept. of